कार्यालय अंचल अधिकारी, कर्रा।

आदेश फलक

अभिलेख वाद सं0– 99/16-17 /

वाद का प्रकार:– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950,की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित

आदेश का क्रमांक सं0 एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई के टिप्पणी
[illegible]	झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं0–03 रवा0भ0निति–119/85/2308/रा0 दिनांक:– 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं0–914/रा0 दिनांक–09.12.1198 में निहित निदेश के अनुपालन में [illegible] खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :– मौजा [illegible] थाना न0 134 खाता नं0 99/19 खेसरा न0 325, 382 रकबा [illegible] एकड की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड)के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उक्त मौजा के पंजी– II के जिल्द संख्या [illegible] के पृष्ठ संख्या 165 पर जमाबंदी रैयत [illegible] पिता/पति [illegible] के नाम से कायम है।	
	हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा [illegible] उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।	
	हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण बंदोबस्ती के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य का क्षति कारित करना है।	
	प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950,की धारा 4(h) के तहत जाच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है	
	अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत का नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की माँग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकारी को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।	
	अभिलेख दिनांक [illegible] को रखें।	
	लेखापित एवं संशोधित अंचल अधिकारी कर्रा।	अंचल अधिकारी कर्रा

आदेश का क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी

अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख मे संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत के द्वारा उपस्थिति दी गई है। जमाबंदी रैयत डिम्बु मुण्डा पिता फागु मुण्डा के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में सरकारी लगान रसीद सं0 0757743. वर्ष 2002–03 एवं 002586 वर्ष 2015–16 की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त हैं .

जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा तपेसरा, थाना नं0 134 के सर्वे खतियान मे खाता सं0 49 प्लॉट सं0 525 रकबा क्रमशः 1.71 एकड खेसरा सं0 382 रकबा 1.82 एकड़ कुल रकबा 3.53 एकड़ सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास परती कदीम दर्ज है।

राजस्व मांग पंजी ii भाग I के पृष्ट सं0 165 खाता सं0 49/14 खेसरा सं 0 525 रकबा 1.71 एकड़ एवं खेसरा सं0 382 रकबा1.82 कुल रकबा 3.53 एकड़ भूमि डिम्बु मुण्डा पिता फागु मुण्डा के नाम से दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है। लगान वसूली वर्ष 1999–2000 दर्ज है। जमाबंदी वर्तमान पंजी II के अनुसार वर्ष 1972–73 में दर्ज हुआ है।

संबंधित पक्ष के द्वारा भूमि बन्दोबस्ती/जमाबंदी से संबंधित पर्याप्त व नियमानुकुल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। रैयत द्वारा वर्षवार लगान भुगतान दर्ज नही पाया गया। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में संबंधित पक्ष का स्पष्ट दखल–कब्जा नहीं है।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा मौजा तपेसरा, थाना नं0 134 खाता सं0 49/14 प्लॉट सं0 525 रकबा 1.71 एकड़ एवं प्लॉट सं0 382 रकबा 1.82 कुल रकबा 3.53 एकड़ भूमि का जमाबंदी रैयत डिम्बु मुण्डा पिता फागु मुण्डा के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने का अनुशंसा किया गया है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एव अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा तपेसरा थाना नं0 134 खाता सं0 49/14 प्लॉट सं0 525 रकबा 1.71 एकड एव प्लॉट सं0 382 रकबा 1.82 कुल रकबा 3.53 एकड भूमि की जमाबंदी को BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत नियमानुसार रद्द करने की अनुशसा की जाती है।

अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे।
लेखापित्र संशोधित।

अंचल अधिकारी
कर्रा।

अंचल अधिकारी
कर्रा।